जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समितिं(ले आउट प्लान) की 81वी बैठक दिनांक 04-03-2005 एवं 05-03-2005 को प्रातः 11.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 से 12 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एजेण्डा संख्या 13 से 16 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), एजेण्डा संख्या 17 से 25 वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.), अति. एजेण्डा संख्या 26 उपायुक्त जोन-2ए, अति. एजेण्डा संख्या 27 एवं 28 उपायुक्त जोन-7 एवं अति. एजेण्डा संख्या 29 उपायुक्त जोन-4 द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरणः-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री ए.के. हेमकार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि(पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री वी.एम. कपूर, अति.आयुक्त भूमि(पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री गिरीराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री यू.डी. खान, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती पुष्पा सत्यानी, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती मनीषा अरोडा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती सुषमा अरोडा, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री वी.पी. सिंह, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री एम.एस. रत्नू, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।
13. श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
14. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
15. श्री अन्नत देव टांक, उप नगर नियोजक, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
16. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, उप नगर नियोजक, जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
17. श्री हीरालाल वर्मा, उप नगर नियोजक, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
18. श्री तेजसिंह राठौड, उप नगर नियोजक, जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
19. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
20. श्री शेराराम, उप नगर नियोजक, जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
21. श्री राजीव पाण्डे, तहसीलदार, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
22. श्री सुभाष चन्द शर्मा, तहसीलदार, जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
23. श्री देवेन्द्र सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
24. श्री गोपाल सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन-8, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः-

एजेण्डा सं0 1 :- निजी खातेदारी भूमि ग्राम दुर्गापुरा के खसरा नं0 205, 206, 207, 211, 216 का 1299.00 वर्ग गज भूमि आवासीय रूपान्तरण के संबंध में।

इन्कमटेक्स कोलोनी की योजना की सीमा में यह भूमि स्थित है। भवन मानचित्र समिति (एल.पी.) की बैठक दिनांक 15.07.2004 में लिए गये निर्णयानुसार उपायुक्त जोन द्वारा उपरोक्त भूमि के भू स्वामित्व की जांच की गयी है। समिति के समक्ष उपायुक्त जोन ने समिति को अवगत कराया कि यह भूमि किसान गृ.नि.स.स. को विक्रय नहीं की गयी है। इस भूमि की 90 बी की कार्यवाही भी अलग से की गयी है। इस भूमि का राजस्व रिकार्ड में नाम विजयपाल एवं श्री अजीत कुमार आर्य के नाम दर्ज है इसलिए इस भूमि का स्वामित्व उनका ही बनता है। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि इन्कमटेक्स कोलोनी की सडके यथावत रखते हुए प्रस्तावित 1299 व.ग. भूमि का आवासीय रूपान्तरण कर दिया जावें।

एजेण्डा सं0 2 :- पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं0 13, दुर्गापुरा में भूखण्ड संख्या 1, 2, 4, 25, 26, 27, 28, 29 के उत्तर दिशा में स्वीकृत 80'-0'' चौडी सडक सेक्टर प्लान के अनुसार 60'-0'' किए जाने के संबंध में।

मौके पर इस सडक की चोडाई 60' से 70' तक ही उपलब्ध है सेक्टर प्लान मे भी इस सडक की चौडाई 60' ही है। भवन मानचित्र समिति द्वारा सेंटपोल स्कूल के मानचित्र भी इस सडक की चोडाई को 60'-0'' रखते हुए स्वीकृत किए गये थे। इसलिए विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिए गये।

1. स्वीकृत योजना मानचित्र में दर्शित 80'-0'' चोडी सडक को 60'-0' किया जावें।
2. सेक्टर प्लान में दर्शायी 100'-0'' चोडी सडक जो गौशाला की भूमि में से गुजर रही है को 100'-0'' चोडी सडक हेतु अवाप्त किया जावे।

एजेण्डा सं0 3 :- जलमहल हा. को. सो. की योजना राधाकिशन नगर योजना में रेल्वे लाईन से 90'-0'' की दूरी छोडते हुए भूखण्डों को स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

पूर्व में भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 24.07.2000 में इसी रेल्वे लाइन के पश्चिम में स्थित महेश कोलोनी योजना में 40'-0'' रेल्वे सीमा के पश्चात 60'-0'' चोडी सडक रखे जाने का निर्णय लिया गया था। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि इस योजना में भी रेल्वे लाइन से 100'-0'' दूरी के पश्चात योजना को स्वीकृत किया जावें।

एजेण्डा सं0 4 :- सेन कोलोनी गृ.नि.स.स. की योजना नं0 1 भूखण्ड संख्या 119 के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि प्रकरण प्रशासनिक बिन्दु में संबंधित है तथा उपायुक्त जोन बैठक में उपस्थित नहीं है इसलिए प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 5 :- नवजीवन गृ.नि.स.स. की योजना निर्माण नगर डी में भूखण्ड संख्या 21 से 24 के पीछे दर्शाये सुविधा क्षेत्र को पार्क के उपयोग में किए जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात सुविधा क्षेत्र को पार्क में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 6 :- शिव शंकर गृ.नि.स.स. की योजना स्वरूप विहार के संशोधन के संबंध में।

पूर्व में स्वीकृत योजना 114859.88 व0ग0 भूमि के आधार पर भू उपयोग की गणना की गयी थी जबकि प्रार्थी द्वारा 118807.12 व0ग0 भूमि क्रय की गयी थी। सहकारी समिति कि कुछ भूमि दक्षिण की ओर 80'-0'' चोडी सडक में चली गयी थी किन्तु कुल योजना क्षेत्र में इस भूमि को शामिल नही किया गया था। सहकारी समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उपायुक्त जोन द्वारा एजेण्डा भिजवाया गया है। जिसे भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया सडक में गये क्षेत्रफल को शामिल किए जाने पर योजना का क्षेत्रफल 118807.12 व0ग0 हो जाता है इसके अनुसार आवासीय क्षेत्रफल 73485.85 व0ग0 अर्थात 61.57 प्रतिशत रखते हुए भूखण्ड संख्या 9, 10, 14, 15, 15ए, 12 (पार्ट), 13, 8 को स्वीकृत रखने का निर्णय लिया गया। संशोधित प्रस्तुत प्लान में समिति की भूमि का क्षेत्रफल लगभग 4000 व.ग. बढ गया है ओर इसी कारण प्रतिशत में परिवर्तन भी हो गया है अत: अनावश्यक विवाद एवं कार्यवाही पूर्व में गलत नाप के कारण हुई। अत: पूर्व नाप जिन्होंने किया तथा जिन उपायुक्त के समय में हुआ उन सबके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट एवं प्रारूप आरोप पत्र मय अभिलेख जांच शाखा को भिजवायेगे। यह कार्यवाही 30-4-05 तक पूर्ण की जावे।

एजेण्डा सं0 7 :- श्रीमती मोहिनी देवी शर्मा, भूखण्ड संख्या 102, डाक्टर्स कोलोनी, एयर पोर्ट के सामने के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि भूखण्ड में नियमानुसार सैटबैक छोडने पर आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होता है इसलिए इस भूखण्ड को स्वीकृत नही किया जावे।

एजेण्डा सं0 8 :- श्रीमती विमला देवी, भूखण्ड संख्या 210, पशुपति नाथ नगर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि भूखण्ड सख्या 51, 52 को भूखण्ड संख्या 210 का चरपेटा रखते हुये एजेण्डा में दर्शाये अनुसार सैटबैक छोडने पर आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है इसलिए इस भूखण्ड को स्वीकृत कर नियमन किया जावे।

एजेण्डा सं0 9 :- पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना नं0 2 बरकत नगर के पास के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया उपायुक्त जोन उपस्थित नही थे इसलिए प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 10 :- अनुमोदन की गयी एवं अनुमोदन प्रक्रिया में विचाराधीन सहकारी समिति की योजनाओं के भू-उपयोग उपान्तरण बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात निम्न योजनाओं के भू उपयोग परिवर्तन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 25(3) के तहत जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया।

1. बन्धु गृ.नि.स.स. की योजना रेणु विहार।

2. विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना रविन्द्र नगर एवं रविन्द्र नगर 'ए'

3. विकास भवन गृ.नि.स.स. की रविन्द्र नगर बी।

4. शिव शंकर गृ.नि.स.स. की योजना हरि ओम विहार।

5. तोपखाना देश गृ.नि.स.स. की योजना बृद्धविहार।

6. दी कृष्णा गृ.नि.स.स. की योजना मानसागर विस्तार।

7. मित्र गृ.नि.स.स. की योजना इन्द्रप्रस्थ कोलोनी।

8. विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना गणेश नगर।

एजेण्डा सं0 11 :- श्री सुरेन्द्र सिंह मुख्त्यारआम श्री जगदीश सिंह की कृषि भूमि खसरा नं0 90, 124, 125, 126, 123/315 एवं 124/327 ग्राम टोडी रमजानी रकबा 205 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित ग्रीनवेली आवासीय योजना का भू उपान्तरण मय टर्मिनल (ट्रान्सपोर्ट) में आवासीय किए जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि भूमि का भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जावे तथा इस भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जावें।

एजेण्डा सं0 12 :- न्यू पिंक सिटी गृ.नि.स.स. की योजना बरकत नगर के भूखण्ड संख्या 135 के सैटबैक परिवर्तन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि भूखण्ड संख्या 136 के भूखण्डधारी से चरपेटा बदलने के संबंध में सहमति लिए जाने के पश्चात सैटबैक बदले जाने की स्वीकृति पत्रावली पर ले ली जावें।

एजेण्डा सं0 13 :- मुहाना गृ.नि.स.समिति की योजना सचिवालय नगर बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 64ए को कॉर्नर भूखण्ड रखते हुए उसका क्षेत्रफल 333.00 वर्गगज रखा जावे तथा भूखण्ड संख्या 462 (मध्य) का क्षेत्रफल 200 वर्गगज रखते हुए योजना मानचित्र में संशोधन किया जावे।

एजेण्डा सं0 14 :- भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट की भूमि में से गुजरने वाली सैक्टर 19 की सडको को निरस्त करने बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट की भूमि में से गुजरने वाली समस्त सैक्टर रोडों को विलोपित किया जाता है। सैक्टर 19 के प्लान में उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में आवश्यक संशोधन किया जावे।

एजेण्डा सं0 15 :- निजी खातेदार योजना केसर नगर, केसर नगर-ए, जय नगर, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर

उपायुक्त जोन द्वारा बताये गये तथ्यों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना काफी समय से लम्बित है तथा 90बी की कार्यवाही काफी समय पूर्व हो चुकी है तथा राजस्थान आवासन मण्डल से अनापत्ति भी मिल चुकी है। क्षेत्र के रोड नेटवर्क के संबंध में आवासन मण्डल से पत्राचार भी किया गया लेकिन उसका कोई प्रतिउत्तर प्राप्त

नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के रोड नेटवर्क के संबंध में प्राधिकरण की बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया जा रहा है जिस पर लिए गए निर्णय के अनुसरण में कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा सं0 16 :- भूखण्ड सं0 1, पवन वाटिका योजना नोट एप्रुड से बहाली बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में भूखण्ड संख्या 1 को योजना क्षेत्र से बाहर बताया गया था तथा सैट बैक लगाये जाने पर वासयोग्य निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण अनुमोदित नहीं करते हुए सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में भूखण्ड सं0 1 के संबंध में पुनः जांच जोन स्तर पर करवाई गयी जिससे यह ज्ञात हुआ कि भूखण्ड सं0 1 योजना के अन्तर्गत ही है तथा सैट बैक अंकित किये जाने पर वाशयोग्य क्षेत्रफल उपलब्ध होता है अतः इसे अनुमोदित किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि इसके लिए दोषी कर्मियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। संबंधित अतिरिक्त आयुक्त इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

एजेण्डा सं0 17 :- सिवार बिन्दायका क्षेत्र के सेक्टर प्लान अनुमोदन बाबत।

सिवार-बिन्दायका क्षेत्र के 22 वर्ग किमी क्षेत्र के सेक्टर प्लान पर समिति द्वारा विस्तृत रूप से विचार विमर्श पश्चात अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया कि उक्त सेक्टर प्लान पर जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जावें।

एजेण्डा सं0 18 :- आनन्द भवन गृ.नि.स.स. की गंगा कॉलोनी सिरसी रोड के भूखण्ड संख्या 9,10 व 13 के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि:

1. उपायुक्त जोन व उप नगर नियोजक द्वारा भूखण्ड संख्या 9,10 व 13 के संबंध में मौका निरीक्षण पश्चात यह सुनिश्चित करेगें कि प्रत्येक भूखण्ड को पहुँच हेतु सडक उपलब्ध है एवं इन भूखण्डों के नियमन से आवासीय उपयोग हेतु पूर्व अनुमोदित प्लान में दर्शाये अनुसार कुल आवासीय प्रतिशत 72.19 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहियें।

उक्त परीक्षण पश्चात ही उपरोक्तानुसार भूखण्डों का नियमन करने का प्रस्ताव पत्रावली पर निदेशक आयोजना के मार्फत आयुक्त महोदय को प्रस्तुत कर निर्णय लिया जावे।

एजेण्डा सं0 19 :- लक्ष्मी नगर गृ.नि.स.स. की योजना कृष्णापुरी स्कीम नं. 1 के भूखण्ड संख्या 34 बी के सैटबैक में शिथिलता दिये जाने बाबत।

समिति द्वारा उक्त एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रकरण को अस्वीकृत किया जाने बाबत।

एजेण्डा सं0 20 :- संयुक्त गृ.नि.स.स. की योजना कोस्मों कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 60 से 64 के संबंध में समझौता समिति द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अनुमोदन बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तुत रूप से विचार विमर्श के दौरान यह पाया गया कि समझौता समिति राज्य सरकार द्वारा गठित समिति थी एवं इस समिति द्वारा दिनांक 18.12.02 को यह निर्णय लिया गया था कि प्रार्थीगण अपने भूखण्ड संख्या 60,61,62 व 63 के पुनः स्थापन एवं नियमन के वैद्य अधिकारी है तथा तदनुसार भूखण्डधारियों, प्रार्थीगण को उनके भूखण्डों के पट्टे जारी करने की कार्यवाहीं यथाशीघ्र की जानी चाहियें। अतः

बीपीसी द्वितीय समिति द्वारा समझौता समिति के उक्त निर्णय को मध्येनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों सहित राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावें।

एजेण्डा सं0 21 :- दी कृष्णा गृ.नि.स.स. की जे-1 योजना के भूखण्ड संख्या 50 से 57 के सैटबैक निर्धारण के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि चूँकि भूखण्ड संख्या 50 से 57 अल्प आय वर्ग के छोटे भूखण्ड है एवं मौके पर पूर्ण निर्मित है इन भूखण्डों के सामने स्थित सड़क मौके पर 20' ही उपलब्ध है एवं इस योजना तक ही सीमित है। अतः इस भूखण्डों को जीरो फीट सैटबैक पर नियमित करते हुए भूखण्ड संख्या 50 से 57 के सामने सड़क की चौडाई 20' की जावें।

एजेण्डा सं0 22 :- म्यूचुअल गृ.नि.स.स. की स्कीम नं. 12 प्रभात कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 5 के अनुमोदन के संबंध में।

समिति द्वारा उपरोक्त एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि निर्मित भूखण्ड संख्या 5 के उत्तर में स्थित सड़क 60' सेक्टर रोड नही है। अतः इस सडक की चौडाई 30' की जावें। भूखण्ड संख्या 85 से 90 के पूर्व की ओर उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को भूखण्ड सं. 85 से 90 के भूखण्डधारियों को नियमानुसार भूपट्टी के रूप में आवंटित कर दिया जावें।

एजेण्डा सं0 23 :- संयुक्त गृ.नि.स.स. की लक्ष्मी नगर योजना के सेक्टर रोड से प्रभावित भूखण्डों के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि चूँकि इस योजना में भूखण्ड संख्या 37 ए, 37 बी, 54 ए व 53 ए मौके पर पूर्ण निर्मित है जय चामुण्डा गृ.नि.स.स. की लक्ष्मी नगर योजना में भी भूखण्ड संख्या 61 व 60 पूर्ण निर्मित है। अतः उक्त 40' की सडक को विलोपित करते हुए भूखण्ड संख्या 32 ई, 24 ए, 37 ए, 37 बी, 53 ए व 54 ए का नियमन कर दिया जावें शेष भाग में 40' रोड यथावत रखा जावें।

एजेण्डा सं0 24 :- सेक्टर प्लान 38,39,40,41 व 42 के अनुमोदन के संबंध में।

उक्त सेक्टर प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर विचार विमर्श पश्चात सेक्टर प्लान को अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया कि दोनों आपत्ति मास्टर विकास योजना 2011 में प्रस्तावति 200' व 160' चौडी सड़को की चौडाई कम करने से संबंधित है जो भविष्य में यातायात संचालन व्यवस्था को मध्येनजर रखते हुए प्रस्तावित की गई है अतः इनकी चौडाई को कम नहीं किया जावें। उक्त निर्णय के साथ सेक्टर प्लानस 38,39,40,41 व 42 को अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा सं0 25 :- भूखण्ड संख्या 40, भगत वाटिका का उप विभाजन स्वीकृत कराने बाबत।

जोन के उपायुक्त द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया जिस पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के पश्चात निर्णय लिया गया कि भगत वाटिका के भूखण्ड संख्या 1 से 36 पूर्व में अनुमोदित योजना के भाग है एवं भूखण्ड सं. 40 इस योजना के गैर अनुमोदित भाग में स्थित है। इस गैर अनुमोदित योजना में स्थित अन्य भूखण्डाधारियों द्वारा नियमन हेतु आवेदन नहीं किया गया है। केवल भूखण्ड संख्या 40 के द्वारा ही नियमन हेतु आवेदन किया गया है। अतः जोन द्वारा प्रस्तावित सैटबैक व सडक हेतु भूमि काटकर भूखण्ड का नियमन

कर दिया जावें। भविष्य में अन्य भूखण्डधारी भी नियमन करवायें, इसके लिये उपायुक्त जोन द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर भी विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा सं0 26 :- स्वर्णकार कॉलोनी (स्वर्णाकर गृह निर्माण सहकारी समिति) के भूखण्ड संख्या डी-31, डी-32 व डी-33 को सुविधा क्षेत्र से एवं विद्यालय के लिए आरक्षित भूखण्ड ओपन स्पेस का सार्वजनिक-सामुदायिक सुविधाओं के लिए स्वर्णकार कॉलोनी विकास समिति के पक्ष में नियमन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि स्वर्णकार कॉलोनी विकास समिति को सामुदायिक-सार्वजनिक सुविधाओं के लिए धर्मशाला हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 597.39 वर्ग गज एवं विद्यालय हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 606.74 वर्ग गज दोनो भूखण्डों का सार्वजनिक-सामुदायिक सुविधाओं के संधारण के लिए आवासीय दर पर नियमन कर दिया जावें। स्वर्णकार कॉलोनी विकास समिति से 100रू के स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग भी ले ली जावें कि वे इन दोनों भूखण्डों का सामुदायिक-सार्वजनिक सुविधाओं के लिए ही उपयोग करेंगे अन्य कोई उपयोग नही करेंगे। नियमन के पट्टे व साइट प्लान में भी यह शर्त लिखी जाकर जारी किये जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा सं0 27 :- गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लायन्स लेन के भूखण्ड संख्या 1 से 12 के संबंध में।

प्रकरण को स्थगित रखते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा सं0 28 :- विष्णु प्रकाश लाटा, भूखण्ड संख्या 18 ए, मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति योजना भूरा पटेल बाबत।

मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा दिये गये पत्र व भूखण्डों की सूची जिसमें श्री विष्णु प्रकाश लाटा को उक्त सोसायटी द्वारा भूखण्ड संख्या 18-ए आवंटित नही किया जाना व इस पेटे कोई राशि नहीं ली जाने का उल्लेख है, पंचाट निर्णय जिसमें श्री विष्णु प्रकाश लाटा द्वारा दायर वाद खारिज किया गया, थाना वैशाली नगर द्वारा श्री लाटा के विरूद्ध पेश चालान व थाना वैशाली नगर में मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा श्री लाटा को उक्त भूखण्ड आवंटित नही करने के संबंध में दिया गया पत्र, जयपुर डेयरी फैडरेशन द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह का दुग्ध डेयरी बूथ भूखण्ड संख्या 18-ए भूरा पटेल नगर में दिए जाने वाले पत्र, सहकारिता विभाग द्वारा जारी जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति की सूची में श्रीमती विपिन जीत कौर, हरजीत कौर का नाम एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विचार-विमर्श कर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 18-ए को जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति का मानते हुए उसका नियमन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा सं0 29 :- अपोलो हाउसिंग को.सो.लि. की योजना लाल बहादुर नगर के भूखण्ड संख्या पी. 33 (संशोधित पी-24) के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचार-विमर्श कर प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या पी-33 (संशोधित पी-24) को स्वीकृत योजना मानचित्र में स्वीकृत नहीं किया गया था तथा इसके स्थान पर रोड दर्शाई गई थी। वर्तमान मौका समिति

अनुसार भूखण्ड के पूर्व में जहां भूखण्ड पी-23 दर्शाया हुआ है। उस स्थान पर रोड का निर्माण हो गया है।

प्रकरण में यह निर्णय लिया जाता है कि इस भूखण्ड का पट्टा जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर यह जांच कर ली जावे कि भूखण्ड संख्या पी-23 का पूर्व में पट्टा जारी तो नही हुआ है। साथ ही अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व) इसकी जाँच करे कि यह गलती किस कारण हुई है तथा इसके लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही 30-4-05 तक प्रस्तावित करें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी-50
दिनांक :- 30/3/05
प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन .... जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।